भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 42] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 28, 2010/माघ 8, 1931

No. 42] NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 28, 2010/MAGHA 8, 1931

संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(दूरसंचार विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जनवरी, 2010

सा.का.नि. 49(अ).— केंद्र सरकार भारतीय तार अधिनियम, 1885 (1885 का 13) की धारा 7 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय तार नियमावली, 1951 में अगला संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) ये नियम भारतीय तार (संशोधन) नियमावली, 2010 कहलायेंगे।
   (2) ये नियम 1 अगस्त, 2010 से लागू होंगे।

2. भारतीय तार नियमावली - 1951 (जिन्हें इसके पश्चात उक्त नियमावली कहा जायेगा) के नियम 452 के लिए निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

"452. **दूरभाष निर्देशिकाओं की आपूर्ति** - फिक्स्ड लाइन दूरभाष के लिए एकीकृत दूरभाष निर्देशिका के प्रकाशन के लिए प्राधिकृत एजेंसी, सीधे अथवा आपसी करार के द्वारा अभिगम सेवा प्रदाता के माध्यम से शुल्क के आधार पर फिक्स्ड लाइन दूरभाष के ऐसे प्रत्येक उपभोक्ता, जो फिक्स्ड दूरभाष संबंधी एकीकृत दूरभाष निर्देशिका खरीदना चाहता है, को ऐसी दरों पर एकीकृत दूरभाष निर्देशिका की आपूर्ति करेगी जो लाइसेंस में वर्णित शुल्क से ज्यादा नहीं होगा अथवा समय-समय पर तार प्राधिकारी अथवा भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किया गया होगा।"

3. उक्त नियमावली के नियम 453 के लिए निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

"453. **दूरभाष निर्देशिकाओं में प्रविष्टि** - किराये पर ली गयी प्रत्येक सीधी लाइन (अर्थात् मुख्य कनेक्शन, सीधा एक्सटेंशन और निजी शाखा दूरभाष केंद्र की जंक्शन लाइनों, के लिए सामान्यतः प्रत्येक

उपभोक्ता को दूरभाष निर्देशिका में एक प्रविष्टि जो एक पंक्ति से ज्यादा नहीं हो, निशुल्क प्रदान की जायेगी। ऐसी प्रविष्टि में उपभोक्ता अथवा प्रयोक्ता की दूरभाष संख्या, संक्षिप्त नाम, उपनाम और पता होगा। ऐसा कोई भी शब्द जिसे समझ में आने लायक संक्षिप्त किया जा सकता है को पूरा मुद्रित नहीं किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्राधिकृत एजेंसी द्वारा स्वविवेक से फिक्स्ड दूरभाष लाइनों की एकीकृत दूरभाष निर्देशिका में प्रकाशनार्थ अतिरिक्त पंक्तियों को मंजूरी दी जा सकती है।"

4. उक्त नियमावली के नियम 455 के लिए निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

"**455. अतिरिक्त पंक्ति शुल्क** - "निशुल्क" प्रविष्टियों में अतिरिक्त पंक्ति अथवा किसी अतिरिक्त प्रविष्टि के लिये शुल्क फिक्स्ड लाइन दूरभाष के लिये एकीकृत दूरभाष निर्देशिका के प्रकाशन के लिये प्राधिकृत एजेंसी द्वारा निर्धारित दरों पर अथवा समय-समय पर तार प्राधिकारी अथवा भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा निर्धारित दरों पर लिया जायेगा।"

5. उक्त नियमावली के नियम 456 के लिए निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

"456 मोटे अक्षरों में प्रमुख शीर्षकों के लिए शुल्क - यदि किसी संस्था, व्यापारिक निकाय या विभाग द्वारा पांच या पांच से अधिक लाइनें किराए पर ली जाती हैं तो मोटे अक्षरों में प्रमुख शीर्षकों में अधिकतम एक पंक्ति का प्रकाशन निःशुल्क किया जायेगा ताकि प्रत्येक प्रविष्टि का प्रकाशन छोटे अक्षरों में किया जा सके, बशर्ते प्रविष्टि के लिए पंक्तियों की अधिकतम संख्या स्वीकार्य निःशुल्क पंक्तियों की संख्या तक सीमित हो। अन्य मामलों में, मोटे अक्षरों में प्रमुख शीर्षकों का शुल्क फिक्स्ड लाइन दूरभाष के लिए एकीकृत दूरभाष निर्देशिका के प्रकाशन हेतु प्राधिकृत एजेंसी द्वारा निर्धारित की जाने वाली दर अथवा तार प्राधिकारी या भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाने वाली दर के आधार पर लिया जायेगा।"

6. उक्त नियमावली के नियम 457 को निम्नलिखित नियम से प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात:-

"457. तार प्राधिकारी स्थिर लाइन दूरभाषों की एकीकृत दूरभाष निर्देशिका में मुद्रित प्रविष्टियों में किसी चूक के लिये उत्तरदायी नहीं होगा और वह एकीकृत दूरभाष निर्देशिका में किसी भी प्रविष्टि या लोप या उसमें हुई किसी त्रुटि के लिए दावा अथवा मुआवजा के लिये बाध्य नहीं होगा।"

7. उक्त नियमावली के नियम 459 के लिए निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

"459. विज्ञापन : एकीकृत दूरभाष निर्देशिका के प्रकाशन हेतु प्राधिकृत एजेंसी एकीकृत दूरभाष निर्देशिका के अंदर विज्ञापनों का प्रकाशन कर सकती है। फिक्स्ड लाइन दूरभाष सेवा प्रदान करने वाले अभिगम सेवा लाइसेंसधारक फिक्स्ड लाइन दूरभाषों के लिए एकीकृत दूरभाष निर्देशिका में अपनी सेवाओं के बारे में प्रकाशन करने या विज्ञापन देने के लिए हकदार होंगे, जोकि तार प्राधिकारी अथवा भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप होंगे।"

[फा. सं. 11-02/2008-पीएचपी]

शिव शंकर सिंह, उप महानिदेशक (जन शिकायत) सह-पदेन, संयुक्त सचिव

टिप्पणी : मुख्य नियम डाक एवं तार मैनुअल खंड-I, विधायी अधिनियमन, भाग-II संस्करण में प्रकाशित किए गए थे और इनमें अगले संशोधन निम्नलिखित अधिसूचना संख्याओं द्वारा किए गए हैं -

1 सा.का.नि. 190, दिनांक 18.02.1984
2 सा.का.नि. 386, दिनांक 22.05.1984
3 सा.का.नि. 387, (अ)दिनांक 22.05.1984
4 सा.का.नि. 679, दिनांक 30.06.1984
5 सा.का.नि. 428, दिनांक 27.04.1985
6 सा.का.नि. 729, दिनांक 3.08.1985
7 सा.का.नि. 982, दिनांक 19.10.1986
8 सा.का.नि. 553, (अ) दिनांक 27.08.1986
9 सा.का.नि. 314, दिनांक 26.04.1986
10 सा.का.नि. 566, दिनांक 26.07.1986
11 सा.का.नि. 953, (अ) दिनांक 23.07.1986
12 सा.का.नि. 1121, (अ) दिनांक 1.10.1986
13 सा.का.नि. 1167, (अ)दिनांक 28.10.1986
14 सा.का.नि. 1237, (अ)दिनांक 28.11.1986
15 सा.का.नि. 49, दिनांक 17.01.1987
16 सा.का.नि. 112, (अ) दिनांक 25.02.1987
17 सा.का.नि. 377, (अ)दिनांक 9.04.1987
18 सा.का.नि. 674, दिनांक 27.07.1987
19 सा.का.नि. 719, दिनांक 18.08.1987
20 सा.का.नि. 837, (अ) दिनांक 5.10.1987
21 सा.का.नि. 989, (अ) दिनांक 17.12.1987
22 सा.का.नि. 337, (अ) दिनांक 11.03.1988
23 सा.का.नि. 361, (अ) दिनांक 21.03.1988
24 सा.का.नि. 626, (अ) दिनांक 17.05.1988
25 सा.का.नि. 660, (अ) दिनांक 31.05.1988
26 सा.का.नि. 693, (अ) दिनांक 10.06.1988
27 सा.का.नि. 734, (अ) दिनांक 24.06.1988
28 सा.का.नि. 606, दिनाक 14.07.1988
29 सा.का.नि. 812, (अ)दिनांक 26.07.1988
30 सा.का.नि. 888, (अ)दिनांक 1.09.1988
31 सा.का.नि. 907, (अ)दिनांक 7.09.1988
32 सा.का.नि. 916, (अ)दिनांक 9.09.1988
33 सा.का.नि. 1054, दिनांक 2.11.1988
34 सा.का.नि. 179, दिनांक 18.03.1989
35 सा.का.नि. 358, (अ)दिनांक 15.03.1989
36 सा.का.नि. 622, (अ)दिनांक 15.06.1989
37 सा.का.नि. 865, (अ)दिनांक 29.09.1989
38 सा.का.नि. 413, (अ)दिनांक 29.03.1990
39 सा.का.नि. 574, (अ)दिनांक 15.06.1990
40 सा.का.नि. 933, (अ)दिनांक 3.12.1990
41 सा.का.नि. 985, (अ)दिनांक 20.12.1990
42 सा.का.नि. 74, (अ)दिनांक 18.01.1991
43 सा.का.नि. 237, (अ)दिनांक 25.04.1991
44 सा.का.नि. 251, (अ)दिनांक 2.05.1991
45 सा.का.नि. 543, (अ)दिनांक 21.05.1992
46 सा.का.नि. 560, (अ)दिनांक 26.05.1992
47 सा.का.नि. 587, (अ)दिनांक 10.06.1992
48 सा.का.नि. 730, (अ)दिनांक 19.08.1992
49 सा.का.नि. 830, (अ)दिनांक 28.10.1992
50 सा.का.नि. 62, (अ)दिनांक 11.02.1993
51 सा.का.नि. 80, दिनांक 6.02.1993
52 सा.का.नि. 384, (अ)दिनांक 27.04.1993
53 सा.का.नि. 387, (अ)दिनांक 28.04.1993
54 सा.का.नि. 220, (अ)दिनांक 26.03.2004
55 सा.का.नि. 193, (अ)दिनांक 01.03.2007

MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY

(Department of Telecommunications)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th January, 2010

G.S.R. 49(E).—In exercise of the powers conferred by Section 7 of the Indian Telegraph Act, 1885 (13 of 1885), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Indian Telegraph Rules, 1951, namely:-

1. (1) These rules may be called the Indian Telegraph (Amendment) Rules, 2010.
   (2) They shall come into force from the 1st of August 2010.

2. In the Indian Telegraph Rules, 1951 (hereinafter referred to as the said rules), for rule 452, the following rule shall be substituted, namely:-

"**452. Supply of telephone directories.** - The authorised agency for publication of integrated telephone directory for fixed line telephones shall supply the integrated telephone directory for fixed line telephones on charge basis, either directly or through the access service providers through mutual arrangements, to each subscriber of fixed line telephones who wish to purchase the integrated telephone directory for fixed line telephones at such rate, which shall not exceed the charges as specified in the license or at such rate as may be determined by the Telegraph Authority or the Telecom Regulatory Authority of India, from time to time".

3. For rule 453 of the said rules, the following rule shall be substituted, namely:-

"**453. Entries in telephone directories.** – For each direct telephone line rented [i.e., for main connections, direct extensions and Private Branch Exchange (PBX) junction lines], ordinarily only one entry not exceeding one line containing the telephone number, the initials, the surname and the address of the subscriber or user shall be allowed free of charge in the telephone directory to every subscriber: Provided that the words which can be intelligibly abbreviated shall not be allowed to be printed in full; Provided further that the additional lines may be allowed by the authorised agency for publication of integrated telephone directory for fixed line telephones at its discretion".

4. For rule 455 of the said rules, the following rule shall be subsitiuted, namely:-

"**455. Charges for extra line.** – Extra line in 'Free of charge' entries or extra entry may be charged for at such rate as may be determined by the authorised agency for publication of integrated telephone directory for fixed line telephones or at such rate as may be determined by the Telegraph Authority or the Telecom Regulatory Authority of India, from time to time".

5. For rule 456 of the said rules, the following rule shall be substituted, namely:-

"**456. Charges for central headings in larger type.** – When five or more telephone lines are rented by an institution, trade or department, a central heading in large type not exceeding one line shall be printed free of charge to enable the individual entries to be in small type subject to the total number of lines of entries being limited to the number of free line entries admissible and in other cases, central heading in bold type may be charged at a rate to be fixed by the authorised agency for publication of integrated telephone directory for fixed line telephones or at such rate as may be determined by the Telegraph Authority or the Telecom Regulatory Authority of India, from time to time".

6. For rule 457 of the said rules, the following rule shall be substituted, namely:-

"457. There shall be no responsibility of the Telegraph Authority for any omission in the entries printed in the integrated telephone directory of the fixed line telephones and it shall not be liable to any claim or compensation on account of any entry in, or omission from, the Integrated Telephone Directory or of any other error therein".

7. For rule 459 of the said rules, the following rule shall be substituted, namely:-

"**459. Advertisements.** – The authorised agency for publication of integrated telephone directory may publish advertisements in the body of integrated telephone directory and the access service licensees providing fixed line telephone service shall be entitled to publish or advertise about their services in the integrated telephone directory for fixed line telephones in accordance with the guidelines issued by the Telegraph Authority or Telecom Regulatory Authority of India, from time to time".

[F. No. 11-02/2008-PHP]

S. S. SINGH, Dy. Director (PG) cum-ex-officio, Jt. Secy.

325 GI/10-2

Note:—The principal rules were published in the Post and Telegraph Manual Volume I, Legislative Enactments, Part II, Edition and subsequently amended vide notification numbers –

1. GSR 190, dated 18-2-1984
2. GSR 386, dated 22-5-1984
3. GSR 387(E), dated 22-5-1984
4. GSR 679 dated 30-6-1984
5. GSR 428, dated 27-4-1985
6. GSR 729, dated 3-8-1985
7. GSR 982, dated 19-10-1986
8. GSR 553(E), dated 27-03-1986
9. GSR 314, dated 26-4-1986
10. GSR 566, dated 26-7-1986
11. GSR 953(E), dated 23-7-1986
12. GSR 1121(E), dated 1-10-1986
13. GSR 1167(E), dated 28-10-1986
14. GSR 1237(E), dated 28-11-1986
15. GSR 49, dated 17-1-1987
16. GSR 112(E), dated 25-2-1987
17. GSR 377(E) dated 9-4-1987
18. GSR 674(E) dated 27-7-1987
19. GSR 719(E), dated 18-8-1987
20. GSR 837(E), dated 5-10-1987
21. GSR 989(E), dated 17-12-1987
22. GSR 337(E), dated 11-3-1988
23. GSR 361 (E), dated 21-3-1988
24. GSR 626(E), dated 17-5-1988
25. GSR 660(E), dated 31-5-1988
26. GSR 693(E), dated 10-6-1988
27. GSR 734(E), dated 24-6-1988
28. GSR 606, dated 14-7-1988
29. GSR 812(E), dated 26-7-1988
30. GSR 888(E), dated, 1-9-1988
31. GSR 907(E), dated, 7-9-1988
32. GSR 916(E), dated 9-9-1988
33. GSR 1054, dated 2-11-1988
34. GSR 179,dated 18-3-1989
35. GSR 358(E),dated 15-3-1989
36. GSR 622(E), dated 15-6-1989
37. GSR 865, dated 29-9-1989
38. GSR 413 (E), dated 29-3-1990
39. GSR 574(E), dated 15-6-1990
40. GSR 933(E), dated 3-12-1990
41. GSR 985(E), dated 20-12-1990
42. GSR 74(E), dated 18-1-1991
43. GSR 237(E), dated 25-4-1991
44. GSR 251(E), dated 2-5-1991
45. GSR 543(E), dated 21-5-1992
46. GSR 560(E), dated 26-5-1992
47. GSR 587(E), dated 10-6-1992
48. GSR 730(E), dated 19-8-1992
49. GSR 830(E), dated 28-10-1992
50. GSR 62(E), dated 11-2-1993
51. GSR 80, dated 6-2-1993
52. GSR 384(E), dated 27-4-1993
53. GSR 387(E), dated 28-4-1993
54. GSR 220(E), dated 26-3-2004
55. GSR 193(E), dated 01-03-2007

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054

(गुरुदास कामत)
संचार तथा सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री
(GURUDAS KAMAT)
Minister of State for Communication & IT
Government of India
Sanchar Bhawan, 20, Ashok Road,
New Delhi-110 001

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 165] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 1, 2010/चैत्र 11, 1932

No. 165] NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 1, 2010/CHAITRA 11, 1932

संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(दूरसंचार विभाग)

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2010

सा.का.नि. 279(अ).—भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. 49(अ) दिनांक 27 जनवरी, 2010 के तहत प्रकाशित संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (दूरसंचार विभाग) के लिए भारत सरकार की अधिसूचना में पृष्ठ 5 की अंतिम पंक्ति में जारीकर्ता प्राधिकारी [एस. एस. सिंह, उप निदेशक (जन शिकायत) और पदेन, संयुक्त सचिव] के पदनाम को [**एस. एस. सिंह, उप महानिदेशक (जन-शिकायत) और पदेन संयुक्त सचिव**] पढ़ा जाए।

[फा. सं. 11-02/2008-पीएचपी]

एस. एस. सिंह, उप महानिदेशक (जन शिकायत)
और पदेन संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY

(Department of Telecommunications)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 31st March, 2010

G.S.R. 279(E).—In the notification of the Government of India for the Ministry of Communications and Information Technology (Department of Telecommunications) published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* G.S.R. 49(E), dated 27th January, 2010, the designation of the issuing authority [S. S. Singh, Dy. Director (PG) cum-ex-officio, Jt. Secy.] in the last line at page 5 be read as **[S. S. Singh, Dy. Director General (PG) cum-ex-officio, Jt. Secy.]**.

[F. No. 11-02/2008-PHP]

S. S. SINGH, Dy. Director General (PG)
cum-ex-officio, Jt. Secy.

1194 GI/2010

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.